फर्द अहकाम
कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द

राज्य सरकार बनाम शब्बीर हुसैन

कैस्म मुकदमा– प्रार्थनापत्र रिव्यू

पत्रावली संख्या 03/2018

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर प सूचनाएं जा
	दिनांक 28.08.2018 पत्रावली प्रस्तुत हुई। पैरोकार सरकार की ओर से दिनांकः 09.01.2018 को प्रकरण संख्या 09/2016 प्रार्थनापत्र रसद में पारित निर्णय दिनांक 26.09.2017 को पुनर्विचार याचिका प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त प्रकरण में दर्ज एफ.आई.आर.संख्या 509/2016 जिसका निर्णय माननीय न्यायालय से होना है, इस प्रकरण से संबंधित सम्पूर्ण दस्तावेज पुलिस थाना नाथद्वारा में प्रकरण दर्ज कराते समय जमा करा दिये। इसलिये आप न्यायालय द्वारा पारित आदेश पर पुनर्विचार किया जावे। प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी को तलब किया गया। विपक्षी की ओर से अधिवक्ता ने उपस्थिति दी। उभय पक्ष को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने अपने प्रार्थनापत्र के जरिये इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.09.2017 का पुनर्विलोकन इस आधार पर कराना चाहा है कि उक्त प्रकरण की कार्यवाही के संबंध में दर्ज एफ.आई.आर. संख्या 509/2016 के संबंध में न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है तथा इस मामले से संबंधित दस्तावेज पुलिस थाना नाथद्वारा में जमा कराये है इसलिये उक्त दस्तावेज के अभाव में इस न्यायालय द्वारा पारित किया गया आदेश पर पुनर्विचार किया जावे। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थनापत्र में जिन दस्तावेज का हवाला दिया है वह दस्तावेज इस न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के साथ प्रार्थी द्वारा पेश नहीं किये गये हैं और दस्तावेज संबंधित पुलिस थाना में जमा कराने के कोई प्रमाण इस पत्रावली में पेश नहीं किये हैं और वैसे भी यदि पुलिस अनुसंधान में कोई दस्तावेज प्रस्तुत भी किये हैं तोउसकी प्रमाणित प्रतिलिपि सक्षम न्यायालय से प्रार्थी प्राप्त कर सकता था जो प्राप्त नहीं की है। केवल कयासी आधारों पर प्रार्थनापत्र पेश किया है जो आधारहीन होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाना उचित समझता हुं। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र आधारहीन होने से अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। (श्याम लाल गुर्जर) जिला कलक्टर राजसमन्द	

न्यायालय जिला कलक्टर